न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0 139/2014 | दायरा दिनांक 27/06/2014 | निर्णय दिनांक 30/7/15

उनवान

1. रघुनाथ पुत्र रामजीलाल जाति चमार ग्राम लाड़पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रार्थी/वादी

बनाम

1. रामेश्वर
2. हंसराज पुत्रान रामजीलाल
3. उर्मिलादेवी पत्नी महावीर
4. विजयपाल
5. सुधीरकुमार
6. पदमसिंह पुत्रान नाहरसिंह जाति चमारान निवासीयान ग्राम लाड़पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
8. उप–पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा तकासमा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–

1. श्री रामफल यादव अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री आनन्दराव अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 3, 4, 5, 6

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र,शपथपत्र एवं समस्त दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। रिकॉर्ड में अमल हो रहा है। विवादित आराजी में

1

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

धारा 212 राज.टी.ए.

Scanned by CamScanner

मिन प्रार्थी का 1/4 भाग है। जिस पर प्रार्थी अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के साथ सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। अबट आराजी है। अप्रार्थीगण के आये दिन प्रार्थीगण के सामलाती हिस्से में कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है व विवादित आराजी को बिना बंटाये ही दीगर लोगों को बेचान करना व निर्माण कार्य करना चाहते है। दिनांक 24/06/2014 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 से विवादित आराजी का तकासमा कराने को कहा तो वो साफ इंकार हो गये व प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकीयां दी कि वो विवादित आराजी का बिना तकासमा किये बेचान करेंगे व मिन प्रार्थी के हिस्से से जबरन बेदखल करेंगे। व काश्त नहीं करने देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे रूपयों पैसो में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगणों को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थी है। अतः अप्रार्थीगण को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 607/467/ रकबा 5-00 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम अलवर (राज0) का जबतक रिकॉर्डेड तकासमा ना हो जाये तबतक वादी दीगर जगह रहन-बय हिबालीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करें, निर्माण कार्य ना करें। प्रार्थी के सामलाती हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा ना करें। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। अप्रार्थी 8 विवादित आराजी का दस्तावेज पंजिबद्ध ना करें।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थीगण 3, 4, 5, 6 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि प्रार्थी ने झूंठे तथ्य दर्ज कर यह झूंठा वादपत्र व झूंठा शपथ पत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का महावीर पुत्र रामजीलाल जाति चमार निवासी लाडपुर तहसील कोटकासिम खातेदार काश्तकार था। महावीर के जीवनकाल में ही मौजिज व्यक्तियों के समक्ष विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा कर दिया गया था। महावीर विवादित आराजी के तरफ उत्तर में काबिज काश्त था तभी पत्थर गाड़कर डोल कायम की गई थी। महावीर की फौतीदगी के बाद उसके वारिसान काबिज काश्त रहे। प्रार्थी ने महावीर के वारिसानों को नाजायज तंग व परेशान करने की नीयत से जबरन उनके हिस्से पर कब्जा कर दबाने की नीयत से न्यायालय हाजा में विवादित आराजी बाबत एक वाद बअनुवान रघुनाथ बनाम रामेश्वर आदि दायर किया था। जो अदम हाजिरी व अदम पैरवी में होकर निर्णीत हुआ। उसी दौरान महावीर के वारिसानों शोभा को छोड़कर शेष ने मिन अप्रार्थीगण 4, 5, 6 को जर्ये बयनामा दिनांक 16/01/2014 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं0 4, 5, 6 के नाम खरीदशुदा आराजी 1/5 भाग का इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रार्थी/वादी द्वारा अदालत हाजा को गुमराह करते हुए पूर्व के वाद को रेस्टोरेशन हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया है। जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है व मौजूदा वाद में स्थगन प्राप्त कर रखा है। इस वाद में प्रतिवादी 3 को पक्षकार बनाया है जबकि प्रतिवादी 3 प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

4,5,6 को विवादित आराजी में से अपने हक हिस्से का बेचान कर चुकी है। अप्रार्थिया 3 को विवादित आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। शोभा पुत्र महावीर का उक्त विवादित आराजी में हक–हिस्सा शेष है तथा सहखातेदार काश्तकार है। जिसको वादी ने वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। दिनांक 24/08/2014 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झूंठी व बनावटी दर्ज की है। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं होती है। ना ही मिन अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का वादी/प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। सह खातेदारी की भूमि का विभाजन कराये बिना विक्रय नहीं किया जा सकता। पूर्व में बंटवारा वाद में T.i Absolute की गई थी। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अपूरणीय क्षति प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है। जब तक बंटवारा ना हो। स्थगन जारी रखा जावे। अप्रार्थीगण 4, 5, 6 स्ट्रेन्जर क्रेता है विवादित आराजी पर कब्जा कहा लेंगे। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थीगण 3, 4, 5, 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी शुद्धहस्त होकर नहीं आये है। प्रार्थी ने एक दावा विवादित आराजी बाबत वर्ष 2013 में न्यायालय हाजा में दायर किया था जो अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अब पुनः इसी आराज़ी का दावा प्रार्थी ने दायर किया है। विवादित आराजी में से हम प्रतिवादी 4, 5, 6 ने जर्ये बयनामा आराजी विवादित का 1/5 हिस्सा क्रय किया है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थनापत्र व दावा पेश किया है। हम अप्रार्थीगण का प्रत्येक इन्च पर विवादित आराजी पर कब्जा है। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद नहीं करा सकता प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 2, 3 सह खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1, 2, 3 का विवादित भूमि के प्रत्येक इन्च पर इनका कब्जा होता है। अप्रार्थीगण 4, 5, 6 द्वारा अपने जवाब में विवादित आराजी के उत्तर में पूर्व सहखातेदार महावीर का व उसके वारिसान का कब्जा काश्त बताया है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। महावीर के वारिसान द्वारा विवादित आराजी का बिना बंटवारा कराये ही बेचान किया जाना साबित है जो विधि अनुसार सही नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी में प्रार्थी के हक व हिस्से पर मजामहत व मदालखत की गई तो

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में है क्योंकि अप्रार्थीगण 4, 5, 6 स्ट्रेन्ज परचेजर है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 607/467 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर को कहीं मुन्तकिल ना करें, ना निर्माण कार्य करें, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.15 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदत्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner